

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 04/2021-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ)- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 95/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 30 दिसंबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 809(अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "28.02.2021" अंको के स्थान पर "31.03.2021" अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.सीबीईसी- 20/06/13/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं 95/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 दिसंबर, 2020 द्वारा सा.का.नि. 809(अ) दिनांक 30 दिसंबर, 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था।